न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सीकर

उनवान सुखदेव सिंह बनाम रामबक्सा उर्फ रामंकुमार

किस्म मुकदमा....................दावा..........................मुकदमा नं.......335 / 2015

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12.03.2020	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया है। वकील उभयपक्ष ने निवेदन किया कि प्रकरण में आवेदन दिनांक 5.2.2018 के अनुसार पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आवेदन दिनांक 5.2.2018 के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः ग्राम गोठड़ा भूकरान तहसील धोद जिला सीकर की आराजी खसरा नम्बर 115, 122, 123, 124, 126, 212, 213 331, 332, 1170 से 1172, 1184, 1187 से 1190 व 116 किता 18 रकबा 16.77 है0 का मानाराम के पांच पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डेड खातेदार या उनके वारिसान अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने के हक, व अधिकारी है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:— (1) यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें। (2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें। (3) यदि उपरोक्त बिंदु सं0 1 एवं 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर, नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बट्टा नंबर डालकर प्रस्ताव भिजवावे। प्रत्येक खातेदार को मिलने वाली भूमि तक जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुऐ मय नक्शा ट्रेस के मूल प्रस्ताव दिनांक 27.4.2020 तक भिजवावें । वादीगण मौका कमिश्नर की फीस 2500 /—रूपये अदा करेंगे । निर्णय को ही प्राथमिक डिक्री पढा जाये। सहायक कलेक्टर (द्वितीय)	